2

समक्ष, न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

पुनरीक्षण याचिका क्र. R 3228-II/15

प्रस्तुति दिनांक : 11/9/2015

B.O.R.

11 SEP 2015

बृजेन्द्र उम्र 31 वर्ष पिता कमलेश उपाध्याय

साकिन निवाई माफी, तहसील हटा, जिला दमोह ... पुनरीक्षणकर्ता

//बनाम//

श्रीमती मीरा पति कुन्जबिहारी ज्योतिषी

साकिन निवाई माफी, तहसील हटा, जिला दमोह .... उत्तरवादी

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू-रा.सं. 1959 के तहत।

पुनरीक्षण खिलाफ न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय, मण्डल हिनौता, तहसील हटा, जिला दमोह द्वारा सीमांकन प्रकरण क्रमांक 8अ/12, वर्ष 2014-15 में पारित आदेश दिनांक 14.7.2015 के विरुद्ध।

238
16-09-15

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निम्न निवेदन प्रस्तुत हैः-

1. यह कि पुनरीक्षणकर्ता मौजा निवाई माफी, प.ह.नं. 36, तहसील हटा, जिला दमोह में स्थित भूमि ख.नं. 187/2 रकवा 0.37 हे. एवं भूमि ख.नं. 248 रकवा 1.80 हे. का स्वत्वाधिकारी मालिक काबिज काश्तकार है एवं उत्तरवादी, पुनरीक्षणकर्ता की इसी भूमि से लगे हुए ख.नं. 187/1, 247 रकवा क्रमशः 1.20, 0.72 हे. की मालिक काबिज है। पुनरीक्षणकर्ता की भूमि ख.नं. 187/2 वा 248 तथा उत्तरवादी की भूमि ख.नं. 187/1 वा 247 की अलग अलग मेड़ें मौके पर कई वर्षों से बनी हुई हैं। उत्तरवादी ने पुनरीक्षणकर्ता की भूमि हड़पने के उद्देश्य से अपनी भूमि ख.नं. 187/1, 247 रकवा क्रमशः 1.20, 0.72 हे. का सीमांकन कराए जाने हेतु माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पत्र पर राजस्व निरीक्षक वा हल्का

छुजेन्द्र मीरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-9-15	प्रकरण में आवेदक अभि० उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया। उनके द्वारा वही तथ्य प्रकट किए जो निगरानी मेमो में अंकित है। इसके अतिरिक्त विद्वान अधि० द्वारा यह बताया गया कि सीमांकन के नोटिस में सीमांकन हेतु दि० 22-6-15 अंकित थी किन्तु सीमांकन 23-6-15 को कर दिया गया, जो कि पंचनामे की तारीख है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि सीमांकन का नोटिस निगरानीकर्ता को तामील नहीं कराया गया था, तामीली न होने से बाबत कोई टीप भी अंकित नहीं की गई थी, फिर भी निगरानीकर्ता की अनुपस्थिति में नोटिस में लिखी तारीख 22-6-15 से भिन्न तारीख दि 23-6-15 को फील्ड में सीमांकन कर निगरानीकर्ता का गैर निगरानीकर्ता की भूमि पर कब्जा काबिज बता दिया गया, एवं निगरानीकर्ता के विरुद्ध धारा 250 की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई। ऐसे में निगरानीकर्ता को अपना पक्ष ~~रखने~~ समर्थन करने का मौका नहीं मिला तथा उनको बेवजह परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभिलेखों की उपलब्ध प्रमाणित प्रतियों के अवलोकन से आवेदक बिन्दु प्रथम दृष्टया सही प्रतीत हो रहे हैं, ऐसे में यह प्रकरण तह० हटा जिला दमोह को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि अपने न्यायालय का विधिवत प्रकरण पुनः खोलें, एवं उसमें समस्त हितबद्ध पक्षकारों एवं सरहदी कृषकों को विधिवत सूचना एवं अपना पक्ष समर्थन करने का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ~~[illegible]~~ (आदेश जारी करें) ताकि किसी भी हितबद्ध पक्षकार अथवा सरहदी कृषकों	

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R ....../II/15... जिला दमोह

बृजेन्द्र ... मौर्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	के वैधानिक हित अनुचित रूप से प्रभावित नहीं हैं। तहसीलदार का आदेश दिनांक 14-7-15 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपरोक्त निर्देशों के साथ इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। द० प०रि० हो। सदस्य 22.9.2015	Sd/- Adv. 22.9.2015

[कृ. प. उ.